संख्या- 1511 /78-2-2016-53आई.टी./2008

प्रेषक,

दीपक सिंघल,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

लखनऊः दिनांक 17 अगस्त, 2016

विषयः- ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत विभागीय सेवायें इलेक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आम जनमानस को विभागीय सेवायें सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी पद्धति से उपलब्ध कराया जाना प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। प्रदेश सरकार आम जनमानस को शासकीय सेवाए आनलाईन माध्यम से प्रदान करने के लिये पूर्ण रूप से कटिबद्व एवं प्रयासरत है। प्रदेश के आम जनमानस को उनके द्वार के समीप तक उच्च मांगों वाली शासकीय सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 01.08.2012 से प्रदेश सरकार द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से 09 विभागों की 26 शासकीय सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है जिसके अन्तर्गत कोई भी नागरिक जन सेवा केन्द्र/लोकवाणी केन्द्र/जन सुविधा केन्द्र/ई-सुविधा केन्द्र तथा इन्टरनेट के माध्यम से शासकीय सेवाओं को प्राप्त कर सकता है।

2- उक्त योजना की सफलता को देखते हुये शासनादेश सं0-1560/78-2-2015-53आई.टी./2008, दिनांक 23.09.2015 के माध्यम से पूर्व में ही समस्त विभागों को निर्देशित किया जा चुका है कि वह विभाग जो अपनी सेवायें आनलाईन माध्यम से प्रदान कर रहे है वे अपनी सेवाओ का ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन कराना सुनिश्चित करे तथा वह विभाग जो मैन्यूअल पद्धति से सेवाए आम जनमानस को उपलब्ध करा रहे है ऐसे विभाग अपनी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराये जाने हेतु यथावश्यक साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की व्यवस्था करें तथा शासकीय सेवाओं हेतु विकसित किये जाने वाले पोर्टल को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से भी इन्टीग्रेट कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त के क्रम में वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा 14 विभागों की 57 शासकीय सेवायें इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आम जनमानस को उपलब्ध करायी जा रही है जिससे तद्दिनांक तक प्रदेश के 8.25 करोड आम जनमानस लाभान्वित किये जा चुके है।

3- विभिन्न विभागों की सिटीजन सेन्ट्रिक सेवाओ को आनलाइन प्रदान किये जाने एवं ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट किये जाने के सम्बंन्ध मे आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा अपने स्तर पर कई बैठके आयोजित की जा चुकी हैं तथा कई मुख्य विभागो के साथ मुख्य सचिव स्तर पर भी बैठके आयोजित की गयी है। आईटी एवं इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा इस सम्बन्ध मे कई बार विभागो को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में पत्र भी प्रेषित किये गये है परन्तु राज्य सरकार की इस महत्पूर्ण योजना के सम्बन्ध में अपेक्षित प्रगति नही हो पा रही हैं ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- वर्तमान में आईटी एवं इलेक्ट्रनिक्स विभाग द्वारा जिन विभागों के साथ सेवाओ को इलेक्ट्रानिक पद्धति से उपलब्ध कराने एवं ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट कराये जाये हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं (विभागवार सेवाओं की सूची संलग्न-1) उन विभागों की चयनित सेवाओं का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों मे किया गया है:-

(i) विभाग जिनकी सेवायें ऑनलाईन उपलब्ध है तथा जिनका इन्ट्रीग्रेशन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से पूर्ण हो चुका है परन्तु शासनादेश जारी न होने के अभाव में सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से गो- लाईव नही किया जा सका है।

(ii) विभाग जिनकी सेवाये ऑनलाईन उपलब्ध है परन्तु जिनका इन्ट्रीग्रेशन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से पूर्ण नहीं हुआ है तथा शासनादेश भी जारी नही हुआ है।

(iii) विभाग जिनकी सेवाये ऑनलाईन उपलब्ध नही है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिन विभागों की सेवाए संलग्नक 1 में उपलब्ध सूची में नहीं है उन विभागों द्वारा भी आनलाईन सेवाओ को उपलब्ध कराया जाना एवं उनका ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्ट्रीग्रेट किया जाना भी अपेक्षित है।

5- उपरोक्त के क्रम में विभिन्न विभागों की सेवायें एक ही पोर्टल से आम जनमानस को उपलब्ध हो सकें इस सम्बन्ध में विभागों से निम्न कार्यवाहियां अपेक्षित है:-

(1) उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 मे विभाग द्वारा अपने आयोजनागत बजट में से 2 प्रतिशत की धनराशि को आई.टी. एवं ई-गवर्नेन्स के कार्यो हेतु आवंटित कराये जाने का प्राविधान है अतः विभाग आई.टी. सम्बन्धी कार्यो के सम्पादन हेतु आवश्यक बजट को प्राप्त करने का कष्ट करें।

(2) विभाग में आई.टी एवं ई-गवर्नेन्स के कार्यो के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु नोडल अधिकारी नामित कराने का कष्ट करें।

(3) विभाग अपनी सिटीजन सेन्ट्रिक सेवाओं को आनलाईन करने हेतु सेवाओ से सम्बन्धित प्रक्रियाओं/प्रोसेस-फ्लो की बिजनेस प्रोसेस रि-इन्जीनियरिंग (बी.पी.आर.) करने के उपरान्त सॉफ्टवेयर/पोर्टल एवं उससे सम्बन्धित हार्डवेयर की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

(4) विभागीय सेवाओं को इलेक्ट्रानिक प्रणाली से उपलब्ध कराने के उपरांत सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्ट्रीग्रेट कराये जाने हेतु संलग्न टैक्नीकल गाइडलाईन्स (संलग्नक-2) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना। उक्त गाइडलाईन्स ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in/DeptRegProcess.htm) पर भी उपलब्ध है। विभाग उक्त गाइडलाईन्स का उपयोग करते हुए इन्टीग्रेशन सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(5) विभागों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्ट्रीग्रेशन के पश्चात जन सेवा केन्द्रो से आवेदनों की प्राप्ति एवं निस्तारण से सम्बन्धित एम0आई0एस0 / रिपोर्टस भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध हो सके ताकि विभागीय सेवाओं के निस्तारण (निर्धारित समयावधि) की अद्यतन स्थिति का अनुश्रवण किया जा सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभागों की सेवाओं को आनलाईन प्रदान किये जाने एवं उनका ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(दीपक सिंघल)
मुख्य सचिव

संख्या: 1511 (1)/78-2-2016 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, अपट्रान बिल्डिंग, लखनऊ।
4. हेड, एस.ई.एम.टी., उत्तर प्रदेश।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।